



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268971  
CG-DL-E-31122025-268971

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5942]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSAH 10, 1947

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

**का.आ. 6152(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 जनवरी, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 3, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (5), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 14, धारा 15, धारा 17 की उपधारा (1) से उपधारा (7) और उपधारा (10), धारा 30, धारा 31, धारा 33 से धारा 38 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12-12/2025 जीओवी-1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS****(Department of Sports)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

**S.O. 6152(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> January, 2026, as the date on which the provisions of sections 1 to 3, sub-sections (1), (2) and (4) of section 4, sub-sections (1) and (2) of section 5, sub-section (5) of section 8, sub-section (1) of section 11, section 14, section 15, sub-sections (1) to (7) and (10) of section 17, section 30, section 31, sections 33 to 38 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 12-12/2025 Gov-1]

KUNAL, Jt. Secy.